न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 06/2018

1. निकुराम पुत्र जेठाराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र प्रताप जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. हरिसिंह पुत्र चेनाराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. श्रवण कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजपाल पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. साहबराम पुत्र भूराराम जाति स्वामी साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. प्रभूराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजबीर पुत्र नत्थूराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सन्दीप कुमार पुत्र भजनलाल जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
5. ग्राम पंचायत मलवानी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. दौलतराम पुत्र कुन्दनराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. हर आम खास।

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर दिनांक 10.01.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः– श्री हवासिंह पुनियां अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री हरिसिंह अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री रविन्द्र गोदरा अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 7

निर्णय **दिनांक : 12.10.2021**

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. निगरानी कृत निर्णय दिनांक 10.01.2018 विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।
2. अप्रार्थीगण न. 1 ता 3 अपीलांटस ने एक अपील प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में इस आशय की पेश कि थी कि गांव चारणवासी के जोहड़ में गांव का गन्दा पानी आता है उसमें ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा सन् 1999 में उपस्वास्थ्य केन्द्र चारणवासी व समाधी श्री सुरजपुरी जी महाराज के नाम से व सन् 2009 में दोलतराम पुत्र कुन्दनराम के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

नाम से पटटे जारी हुए है जो गलत तरीके से जारी हुए है जो पटटे जोहड़ पायतन भूमि में होने के कारण खारिज फरमाया जावें। उसी दिन गांव के हर आम व खास की तरफ से प्राथमिक आपत्तिया ग्रामवासियों द्वारा लिखित में प्रस्तुत की उसके बाद अपील में कोई तारीख पेशी नहीं रखी गई व ना ही कोई नोटिस जारी किया व ना ही कोई सबूत पेश करने का अवसर दिया एवं दिनांक 10.01.2018 को विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर उपस्वास्थ्य केन्द्र चारणवासी व समाध श्री सुरजपुरी जी महाराज के नाम से जारी पटटे निरस्त कर दिये जिससे हर आम व खास की धार्मिक भावना को ठेस पहुची है निर्णय जनहित के खिलाफ होने के कारण निरस्त योग्य है।

3. गांव चारणवासी की आबादी भूमि में उपस्वास्थ्य केन्द्र चारणवासी के नाम से स्वास्थ्य विभाग की मांग के अनुसार ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा पूर्णतया विधिक प्रकिया अपनाते हुए सन् 1999 में ग्राम पंचायत के दिनांक 14.12.1999 के प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा अनुमोदित होने पर 150 गुणा 200 फुट का पटटा जारी कर इस भूखण्ड पर उपस्वास्थ्य केन्द्र चारणवासी के नाम का बोर्ड लगवा दिया गया था उक्त पटटा जारी कर तत्कालीन पंचायत द्वारा यह पटटा स्वास्थ्य विभाग को दिया गया जिसके बाद में राजस्थान सरकार द्वारा उक्त भूखण्ड का भौतिक सत्यापन कर गांव चारणवासी हेतु उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया, जिसका सन् 2006–07 में निर्माण किया गया, जिससे कम जगह का पटटा होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र नही खोला जा सकता था इसलिए आबादी भूमि में यह विधिवत पटटा जारी किया गया था। पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पुरी प्रकिया अपनाते हुए पत्रावली बनाई गई हर मिटिंग में कार्यवाही की गयी अनापत्ति नोटिस जारी किया गया तथा इस जगह पर लोहे का बोर्ड लगाकर हर आम व खास को सूचित किया गया सभी ग्राम वासियों की सहमति से इस जगह का पटटा जारी किया गया इसलिए पंचायत समिति द्वारा अपने फैसला में कतई गलत तथ्य अंकित कर गलत निर्णय पारित किया गया है।

4. समाद श्री सुरजपुरी जी महाराज की समाद की भूमि पर मन्दिर समाद के आगे उसके उपयोग व उपभोग की भूमि पर ग्रामवासियों की मांक के अनुसार पुरी विधिक प्रकिया अपनाकर ग्राम पंचायत मलवानी के प्रस्ताव स. 5 दिनांक 28.07.1999 को अनुमोदित होने पर ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार पटटा जारी किया गया था इस भूखण्ड का स्वामित्व भी उसी समय समाद श्री सुरजपुरी को सौंप दिया गया था जो गांव के सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में आ रहा है यह भूखण्ड भी विधिक प्रकिय अपनाकर अनापत्ति नोटिस जारी कर तथा इसकी राशी ग्राम पंचायत में जमा होने पर पटटा जारी किया गया है यहा पर राजस्व रिकार्ड में कोई सार्वजनिक जोहड़ नहीं है रिपोर्ट पटवारी हल्का है तथा पंचायत समिति द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.01.18 निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

5. मौजूदा सरपंच कृष्ण कुमार द्वारा कतई गलत रूप से खिलाफ कानून इस उप स्वास्थ्य केन्द्र के व समाद श्री सुरजपुरी महाराज के पटटों शुदा भूमि में से मिटटी उठाकर अप्रार्थीगण स. 1 ता 3, 7 के भूखण्डों की भर्ती करवा दी जिसके कारण यहा पर गढढा बन गया और इसके आस–पास की जगह का पानी इकट्ठा होने लगा गया जिस पर ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 09.09.16 को जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ व मुख्य चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ के ऐतराज प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर यहां से गन्दा पानी हटवाने व उपस्वास्थ्य केन्द्र की जगह का सीमांकन करवाने की मांग की गई थी तथा सरपंच व प्रधान पंचायत समिति की शिकायत की जिस पर सरपंच व प्रधान ने अपने अवैध कार्य के बचाव हेतू यह अपील पंचायत समिति में अपने पक्ष के तीन व्यक्तियों द्वारा पेश करवा कर यह गलत निर्णय पारित किया है क्योंकि सरपंच द्वारा इस जगह पर सरकार की राशी से राज्यहित व लोकहित के विरूद्ध निर्माण कार्य कर अपने पद का दुरूपयोग किया है। प्रधान पंचायत समिति नोहर ने पिछली बार पंचायत समिति के ब्लॉक न. 25 व अब की बार ब्लॉक न. 24 से चुनाव लड़ा था ये ब्लॉक गांव चारणवासी, मलवानी व फेफाना से मिला कर बने हुए है दोनो बार ही गांव चारणवासी के लोग बहुसंख्या प्रधान के खिलाफ रहे थे इसलिए इस चुनावी रंजिश के कारण मौजूदा सरपंच व प्रधान ने साजिश कर यह आलोच्य निर्णय पारित किया है।

6. गांव के गन्दा पानी के लिए व अन्य कार्य के लिए गांव की आबादी से एक बीघा दूर उतरी, पश्चिम कुट पर पुराना जोहड़ व कुईया मौजूद है तथा मौका पर 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि खाली पड़ी जो पुराने समय समय से जोहड़ चौब भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा यह भूमि अब सार्वजनिक कार्य हेतु आरक्षित की हुई है तथा गांव का वर्षा का पानी इस जोहड़ में ही डाला जाता रहा है तथा आसानी से गांव के पानी की निकासी इस जोहड़ में होती है तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र समाद श्री सुरजपुरी जी महाराज के भूखण्ड में गांव का गन्दा पानी डाला जाता है तो यह जगह घनी आबादी के बीच में स्थित होने के कारण भयंकर प्रदुषण होगा तथा भयंकर बीमारीयां फेलेगी तथा गन्दा पानी रहने से सरकारी उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को नुकसान होंगा तथा यह भूमि राजस्व रिकार्ड में आबादी दर्ज है।

7. अप्रार्थी दौलतराम के पक्ष में दिनांक 25.10.09 को पुराने मकान के विनियमितकरण का पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया गया है जो कतई विधि विरूद्ध जारी किया गया है क्योंकि इस दौलतराम का यहां पर ना तो पुराना कब्जा था और ना ही कोई मकान बना हुआ है। दौलतराम गांव चारणवासी में काफी अर्सा से निवास नहीं करता है तथा यह गांव चौपटा तहसील सिरसा में प्राइवेट क्लिनिक चलाता है और वही रहता है इसलिए पुराना कब्जा होने का सवाल पैदा नही होता है जो इस जगह का सन् 1999 का समाद श्री सूरजपूरी जी महाराज का पटटा बना हुआ है इसलिए कानूनन् पटटा पर पटटा जारी नहीं किया जा सकता था सन् 2009 में सरपंच सीतादेवी खिचड़ जो दौलतराम के परिवार की थी और

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपने कार्यकाल के अन्तिम समय यानि पंचायत के चुनाव से दो माह पूर्व नाजायज रूप से यह पटटा जारी किया है जिसका पंचायत में कोई रिकार्ड नही है तथा उस समय नियमानुसार सरपंच द्वारा पटटा जारी नहीं कर सकता है इसलिए यह पटटा कानूनी रूप से अवैध होने के कारण काबिल खारिजी के है जिसे पंचायत समिति ने अपने निर्णय दिनांक 10.01.2018 में बहाल रखकर कतई गलत निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

8. पंचायत समिति द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र का यह पटटा खारिज किया है जिसका स्वामित्व स्वास्थ्य केन्द्र का है जो अपील में आवश्यक पक्षकार होता है लेकिन उसके बिना सुने व बिना पक्षकार बनाये यह निर्णय पारित किया है जो कतई विधि विरूद्ध है तथा अपील में पक्षकार राज. सरकार जिला कलक्टर हनुमानगढ़ व अन्य हर आम व खास के लिए ना तो कोई नोटिस जारी किये गये है और ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है जो कि कानूनन् आवश्यक है तथा जिला कलक्टर राज. सरकार के खिलाफ पंचायत अपील नहीं हो सकती इसलिए यह निर्णय कानूनन् खिलाफ है तथा प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में दिनांक 09.09.16 को अपील प्रथम बार मिटिंग मे ली उसके बाद अनेक मिटिंग हुई इस अपील को ना तो कमेटी ने मिटिंग में रखी और ना ही कोई नोटिस जारी किए तथा ना ही मौका कमेटी की रिपोर्ट आदि के लिए कोई आदेशिका लिखी और दिनांक 10.01.18 का बिना तारीख पेशी निर्धारित किये यह निगरानी निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

9. पंचायत के किसी निर्णय के खिलाफ अपील की मियाद 30 दिन है जबकि यह अील 17 साल बाद पेश की गयी थी जो मियाद बाहर पेश की गयी है क्योंकि उपस्वास्थ्य केन्द्र के पटटे का बोर्ड सन 1999 में लगा हुआ था जिसे अपीलांट रोज देखते थे तथा भवन भी बना हुआ है जिसका अपीलांट को बखुबी ज्ञान था तथा पंचायत समिति द्वारा अपने पारित इस निर्णय में मियाद के बिन्दु पर कोई आदेश नही दिया इसलिए अपील मियाद बाहर है जो काबिल खारिजी के है तथा यह अपील ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि निर्णय तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर पटटा जारी किया जाता है जो कि कागज पटटा इसलिए पटटा के खिलाफ कोई अपील पेश नही की जा सकती है इसलिए यह पंचायत समिति का फैसला काबिल खारिजी के है।

10. अप्रार्थीगण स0 1 ता 3 जिनके द्वारा पंचायत समिति में यह अपील पेश की गयी है किसी भी प्रकार से पीड़ित पक्षकार नही है तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र व समाद श्री सुरजपुरी जी महाराज के पटटे से इनको कोई नुकसान नही हो रहा था इसलिए इसे कानून अपील करने का अधिकार नहीं था इसलिए यह निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

11. उपस्वास्थ्य केन्द्र का पटटा नियम 162 राज. प.नि. के तहत बनाया गया है जिसके पटटो की अपील का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए यह निर्णय दिनांक 10.01.2018 काबिल खारिजी के है।

12. समाध पटटे की जगह से साईड में है। पटटे शुदा जगह पर समाध पर आये यात्रियों के ठहरने व भण्डारा व जागरण के उपयोग व उपभोग में काम आती है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय आम जन की भावना के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।

13. मातहत अदालत में प्रभावित पक्षकार को पट्टाधारियों को पक्षकार नही बनाया है जबकि प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर दिया जाना आवश्यक है। बावजूद भी प्रशासन कमेटी ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य हैं

14. प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति का निर्णय कानून सम्मत नही है। सिर्फ राजनैतिक पार्टी वाजी की वजह से अपने चेहतो को फायदा पहुचाने के लिए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

15. कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि जब तक पूर्व में जारी पटटा निरस्त नही किया जाता तब तक उसी जगह का नया पटटा जारी नहीं किया जा सकता मातहत अदालत ने इस बात पर कोई गोर नही किया सिर्फ निर्णय करने मे ही अपनी रूची दिखाई है इसलिए निर्णय निरस्त योग्य है।

16. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना व कानून सम्मत नही है जो निर्णय की परिभाषा में नही आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

लिहाजा निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी स्वीकार कर निर्णय दिनांक 10.01.2018 निरस्त कर अप्रार्थी न. 7 दोलतराम के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 25.10.2009 पूर्णतया निरस्त करने का आदेश फरमावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह निगरानी प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 10.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। दिनांक 14.12.1999 को उपस्वास्थ्य केन्द्र का पटटा जारी किया गया है। उपस्वास्थ्य केन्द्र का बोर्ड भी लगा दिया । आबादी भूमि में उपस्वास्थ्य केन्द्र के लिए 150 गुणा 200 फुट का पटटा विधिवत जारी किया गया है। सन् 2006–07 में उपस्वास्थय केन्द्र का निर्माण किया गया। दिनांक 28.07.1999 को सुरजपुरी महाराज के नाम से पटटा जारी किया गया जहां समाधी भी बनी हुई है। उक्त पटटो की भूमि पर दिनांक 25.10.2009 तत्कालीन सरपंच ने अपने भतीजे दौलतराम के नाम से पटटा जारी कर दिया। दौलतराम को भी विनयमितिकरण का पटटा जारी किया गया है जबकि मौका रिपोर्ट के अनुसार उनका कोई कब्जा नहीं माना गया है। सन् 2016 में उक्त प्लाटों में से दौलतराम ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

मिट्टी उठाई जिससे गढ्ढे हो गये। उक्त पटटे की प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर में दिनांक 14.06.2016 को अपील पेश की गई जो की 17 वर्ष पश्चात की गई है। उक्त अपील में प्रभावित पक्षकारो उपस्वास्थ्य केन्द्र व समाध श्री सुरजपुरी जी महाराज को पक्षकार ही नही बनाया गया जबकि प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के तहत पंचायत समिति के निर्णय के खिलाफ अपील की मियाद 30 दिवस है जबकि यह अपील 17 साल बाद पेश की है। जहां उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं समाध श्री सुरजपुरी जी महाराज के नाम पटटे जारी किये गये है वहां कोई जोहड़ नही है, आबादी भूमि है। ग्राम में अलग से 12 बीघा भूमि जोहड़ उपलब्ध है। पंचायत समिति में यह अपील पेश की गई है उसमें ये किसी भी प्रकार से पिड़ित पक्षकार नही है इसलिए इनको कानूनी अपील करने का अधिकार ही नहीं है। वक्त बहस जोहड़ के संबंध में पर्चाखतौनी पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। बहस के अंत में निवेदन किया की निगरानी स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्राथी संख्या 7 ने बहस में निवेदन किया की पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम में 12 बीघा अन्य जोहड़ भूमि उपलब्ध नहीं है। जहां पटटे खारीज किये गये है उस भूमि पर जोहड़ के रूप में पानी इकटठा होता है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 62 के अनुसार 500 वर्गगज से अधिक का पटटा ग्राम पंचायत जारी करने में सक्षम नहीं है। उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं समाध सुरजपुरी के लिए पर्याप्त जगह को छोड़ते हुए पटटे खारीज किये गये है, जो नियमानुसार किये गये है। अप्रार्थी दौलतराम इसी ग्राम का स्थाई निवासी है और जितनी भूमि पर काबिज है उसके अतिरिक्त जगह का पटटा स्वैच्छा से समर्पित किया है। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने गुगल मैप ग्राम चारणवासी व निर्णय माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान डीबी एसपीएल अपील रिट न0 752, 753,780,781 निर्णय दिनांक 07.04.2021 की प्रति भी पेश कर अतः में निगरानी खारीज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा ग्राम चारणवासी में दिनांक 14.12.1999 को उपस्वास्थ्य केन्द्र को 150 गुणा 200 फीट तथा सार्वजनिक समाध श्री सुरजपुरी जी महाराज चारणवासी दिनांक 28.07.1999 को 140 गुणा 100 फीट का पटटा राजस्थान पंचायतराज नियम 1996 के नियम 167 के तहत एवं अप्रार्थी दौलतराम को 25.10.2009 को 100 गुणा 100 फीट का पटटा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 157 के तहत जारी किये गये है। इन पटटो को खारीज कराने हेतु अप्रार्थीगण महेन्द्रसिंह, राजवीर व संदीप कुमार द्वारा अपील प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के समक्ष पेश करने पर प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 10.01.2018 द्वारा अपील स्वीकार कर उप स्वास्थ्य केन्द्र के पटटे में से उत्तरी हिस्से में से 140 गुणा 150 फुट की हद तक, समाध श्री सुरजपुरी जी के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

नाम के पटटे में से 100 गुणा 140 फुट क्षेत्र एवं दौलतराम के पटटे में से दक्षिणी हिस्से की 50 गुणा 100 फुट क्षेत्र की हद तक के पटटे खारीज किये।

उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार निगरानीधीन अपील में पटटाधारक समाध श्री सुरजपुरी जी महाराज व उपस्वास्थ्य केन्द्र के सक्षम प्राधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार निर्णय करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में मियाद बिन्दु पर भी कोई निर्णय नहीं दिया है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी प्रार्थीगण, आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2018 को अपास्त किया जाता एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए एवं मौका निरीक्षण एवं पटटो से संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकर कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.10.2021

(भागीरथ शाख आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)